न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

मु.नं. 14/2018 निर्णय दिनांक 23.05.2018

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का रामनगर तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर **(सायल)**

बनाम

योगेश बंसल पुत्र देशराज जाति अग्रवाल साकिन अग्रसेन नगर, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर हाल रामनगर तहसील छतरगढ जिला बीकानेर

(गैरसायल)

अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

-निर्णय-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रामनगर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि गैर सायल योगेश बंसल पुत्र देशराज जाति अग्रवाल साकिन अग्रसेन नगर, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर हाल रामनगर तहसील छतरगढ जिला बीकानेर ने कृषि सम्वत् 2074 फसल रबी में ग्राम रामनगर के खसरा नम्बर 682/07 में 68.07 बीघा बारानी भूमि पर अतिक्रमण कर अनाधिकृत रूप से फसल रबी (सरसो, चना) कास्त कर ली है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया।

नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। गैरसायल नोटिस प्राप्ति के बावजूद अनुपस्थित। भू0अ0 निरीक्षक द्वारा कुर्की रिपोर्ट पेश नही की गई। भू0अ0 निरीक्षक राणेर का कुर्की रिपोर्ट अतिशीघ्र पेश करने हेतु स्मरण पत्र प्रथम दिनांक 08.05.2018 को जारी किया गया। तत्पश्चात दिनाक 22.05.2018 को भू0अ0 निरीक्षक राणेर ने फर्द कुर्की रिपोर्ट दिनांक 12.04.2018 पेश की, कुर्की रिपोर्ट मुताबिक मौके पर सरसो, चना की फसल वर्षा के अभाव में एवं आवारा पशुओ के द्वारा नष्ट होना पायी गई, फर्द मौका कुर्की जो शामिल पत्रावली की गई।

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कोई व्यक्ति उपनिवेशन क्षेत्र में बिना किसी विधिक अधिकार के किसी भूमि पर काबिज होने अथवा लगातार काबिज रहने की स्थिति मे अतिक्रमी माना जावेगा तथा उसे इस धारा के प्रावधानो के तहत तहसीलदार द्वारा बेदखल किया जावेगा। ऐसा अतिक्रमी 50 गुना लगान की शास्ति तक दण्ड़ का भागी व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की दशा में 3 माह के सिविल कारावास का भागी होगा।

अतः प्रकरण मे गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जाकर भू-राजस्व का 50 गुना 861/-अक्षरे आठ सौ इकसठ रूपये शास्ति आरोपित कर बेदखली के आदेश पारित किये जाते है। तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को वसूली एवं मौके से बेदखली/ कब्जा भूमि बहक सरकार लेने बाबत बाबत लिखा जावे। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों। इजराय पत्रावली अलग से मुर्तीब की जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक छतरगढ़ (बीकानेर)

(सुरेश कुमार राव)
तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)
छतरगढ़ (बीकानेर)